

कार्यालय आयुक्त
लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा विभाग
6वीं मंजिल, सतपुड़ा भवन, भोपाल (म.प्र.)

ई-मेल : dme12001@yahoo.comवेबसाइट: www.medicaleducation.mp.gov.inकमांक 74) / पीजी / 4 / संचिशि / 2025
प्रति,

भोपाल, दिनांक 30 / 05 / 2025

अधिष्ठाता,
स्वशासी चिकित्सा महाविद्यालय,
भोपाल, इंदौर, ग्वालियर, जबलपुर, रीवा, सागर
रतलाम, विदिशा, खण्डवा, दंतिया, छिन्दवाडा,
शिवपुरी, शहडोल, सतना

अधिष्ठाता,

- 1-पीपुल्स कालेज ऑफ मेडिकल साइन्सेस, भोपाल ।
- 2-श्री अरविन्दों इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइन्सेस, इंदौर
- 3-आर.डी.गार्डी चिकित्सा महाविद्यालय, उज्जैन ।
- 4-इण्डेक्स चिकित्सा महाविद्यालय, इंदौर ।
- 5-एल.एन. चिकित्सा महाविद्यालय, भोपाल ।
- 6-चिरायु मेडिकल कालेज, भोपाल ।
- 7-अमलतास मेडिकल कॉलेज, देवास ।
- 8-आरकेडीएफ मेडिकल कॉलेज, भोपाल
- 9-सुखसागर मेडिकल कॉलेज, जबलपुर
- 10-महावीर इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइन्सेस, भोपाल
- 11-रामकृष्णा मेडिकल कॉलेज रिसर्च सेंटर, भोपाल
- 12-एल.एन.सी.टी. मेडिकल कॉलेज, इंदौर

विषय:- मूल दस्तावेज लौटाने एवं अनापत्ति प्रमाण-पत्र जारी करने के संबंध में ।

उपरोक्त विषयांतर्गत लेख है कि मान0 उच्च न्यायालय, खण्डपीठ इंदौर में दायर मुख्य याचिका डब्ल्यू.पी.कमांक 29865/2023 तथा अन्य connected similar petitions में पारित विभिन्न अंतरिम निर्णयों में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा याचिकाकर्ताओं को मूल दस्तावेज वापस करने एवं अनापत्ति प्रमाण-पत्र जारी करने के निर्देश दिये गये हैं । निर्णय के विरुद्ध शासकीय अधिवक्ता के अभिमत अनुसार अपील दायर करने की कार्यवाही की जा चुकी है । अतः उपरोक्त के दृष्टिगत निर्देशित किया जाता है कि बिना संचालनालय की अनुमति के किसी भी छात्र/छात्रा को मूल अभिलेख एवं अनापत्ति प्रमाण-पत्र जारी नहीं किये जाये अन्यथा विपरीत परिस्थिति में महाविद्यालय स्वयं जिम्मेदार होंगे ।

संचालक चिकित्सा शिक्षा
मध्यप्रदेश

पृ0कमांक / 4 / पीजी / आचिशि / 2025
प्रतिलिपि:-

भोपाल, दिनांक / 05 / 2025

- 1- प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा विभाग, मंत्रालय, की ओर सूचनार्थ प्रेषित ।
- 2- आयुक्त, लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा विभाग, म0प्र0भोपाल की ओर सूचनार्थ प्रेषित ।

संचालक चिकित्सा शिक्षा
मध्यप्रदेश